



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैण



Phone NO/ Fax No: 01363.278533

Mail: cecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 899 / 152626

दिनांक 27 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय— जनपद चमोली में पजियाणा-घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/9612/2015)

सन्दर्भः— उप महानिरीक्षक, वन (के०) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ.सी./1017 दिनांक 16.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा 3 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी जिनका प्रतिउत्तर भारत सरकार तक न पहुँचने के कारण मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पा रही है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) (संलग्नक-1) भारत सरकार के देहरादून कार्यालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि बिना उपरोक्त पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किये मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, जिसके क्रम में उक्त तीन बिन्दुओं का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रेषित है।


बिन्दु संख्या	विवरण	प्रतिउत्तर
1.	प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है, अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर इस कार्यालय से प्रेषित किया जा चुका है।

<p>2.</p>	<p>राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 का उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें। (उल्लेखित पत्र में 3 बिन्दुओं का प्रतिउत्तर दिया जाना है जो निम्नवत् है तथा पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-2)</p> <p>1. राज्य सरकार 1007248/-रुपये की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेंगी।</p> <p>2. राज्य सरकार शर्त संख्या 03 एवं 05 के जवाब में वचनाबद्धता (Undertaking) की मूल हार्ड प्रति सक्षम अधिकारी (signing authority) के पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें।</p> <p>3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार N,P.V Calculation sheet की एक मूल प्रति जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई, प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसे ऑनलाईन बैब पोर्टल पर भी अपलोड करेंगी।</p>	<p>1. संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण रु0 1007248.00 की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना जो प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ प्रभाग से प्राप्त है संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)</p> <p>2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 एवं 5 के प्रतिउत्तर (Undertaking) मूल हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-4 व 5)</p> <p>3. N,P.V Calculation की शीट संलग्नक-2 के अनुसार है तथा Campa कोष में जमा की गई धनराशि की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-6) तथा Campa कोष में जमा की गई धनराशि Portal पर भी Upload की गई है।</p>
<p>3.</p>	<p>राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 896/1LA दिनांक 27.07.2024 द्वारा आपके कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति</p>

वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	संलग्न संलग्नक-7) कृपया उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।
---	--

अतः निवेदन है भारत सरकार से मांगी गई जानकारी को उपरोक्तानुसार अपनी ओर से उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करेंगे ताकि मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार संलग्नक 1 से 7 तक।


 23/3/24
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 गैरसैंण, चमोली।

9C

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

रील जॉब - 1

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ.सी./1017

दिनांक: 11/11/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - चमोली के अर्न्तगत पंजीयाणा-धण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/9612/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1028/FP/UK/ROAD/9612/2015 दिनांक 21-10-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 द्वारा प्रस्ताव में 3 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। परन्तु राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 14.03.2017 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है, अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2019 का उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।

Dfo Sir,

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

संलग्न-2
(101)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यूसी.पी./06/38/2015/एफ.सी./2166

दिनांक 01.12.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: चमोली के अर्न्तगत पंजीयाणा-धण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1445/FP/UK/ROAD/9612/2015
दिनांक 01.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. राज्य सरकार 10,07,248/- रुपये की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी
2. राज्य सरकार शर्त संख्या 03 एवं 05 के जवाब में वचनबद्धता (undertakings) की मूल हार्ड प्रति सक्षम अधिकारी (signing authority) के पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें।
3. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार NPV calculation sheet की एक मूल प्रति जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, प्रेषित करने का कष्ट करें तथा इसे ऑनलाईन वैब पोर्टल पर भी अपलोड करेगी।

0/c

भवदीया,
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

0/c

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

131/14A

3-5-17

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांक:- 4233/17-1 गोपेश्वर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गैरसैण।

शैल 5-17-3

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत पजियाणा- घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है:-

क0स0	नाम जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल	दर प्रति हे0/किमी0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1.988 X 2 = 3.976 हे0	2,53,332.00 प्रति हे0	10,07,248.032 या 10,07,248.00
2	एन0पी0वी0	1.988 हे0	8,45,000.00 प्रति हे0	16,79,860.00

उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।


22/04/17
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गैरसैण


प्रारूप-51


परियोजना का नाम:—जनपद चमोली में गैरसैण-पजियाणा धण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार हेतु
1.988 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।


एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमीन
लो०नि०वि०
गैरसैण



कनिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०
गैरसैण


सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
गैरसैण


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग गैरसैण

“Central Verge का प्रमाण-पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के देख-रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण।



अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण।

रॉल नं - 6

S BIN 217231034338

AGENCY COPY
NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date 10-05-2017

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	ROAD96122015261
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	2687100/-

Amount in Words Twenty-Six Lakh Eighty-Seven Thousand One Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15085ROAD96122015261
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Phatakalepy A. M. Shrestha
सहायक अभियन्ता
निर्माण सुब्बा, सो. नि. वि
गैरसैन (चमोली)

19 AUG 2017
ArinTech Kumar
[Signature]

प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9812/2015 जनपद चमोली के अन्तर्गत पञ्जाणा घण्डियाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.988 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम-घण्डियाल खालसा प०वृ०-पञ्जाणा, तहसील -गैरसैण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०ख्या०सा०-30 के खसरा सा०- 05 रकबा 2.018 है० भूमि मध्ये 1.300 है० भूमि, खसरा संख्या-08 रकबा 2.25 है० भूमि मध्ये 1.300 है० एवं खसरा संख्या-07 रकबा 2.024 है० भूमि मध्ये 1.376 है० अर्थात् 3.976 है० सिविल सोयम भूमि का राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 4888/छवीस-24(2016-2017) गोपेश्वर दिनांक 28 जुलाई 2017 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गई है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-एफ/838 दिनांक 17-10-1893 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोषित है। इसे पुनः रक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

28/7/20

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

प्रमाणीय वनीधिकारी,
कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।



- पत्रांक— 598 / 12-1 , गोपेश्वर 05/09/022 दिनांक
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार 25, सुभाष रोड देहरादून।
2- प्रमुख सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3- प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5- मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल उत्तराखण्ड।
6- जिलाधिकारी, चमोली।
7- गार्ड बुक।

28/7/20

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

संलग्नक - 7



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैण



Phone NO/ Fax No: 01363.278533

Mail: ceedgairsain@rediffmail.com

दिनांक 24 / 07 / 2024

पत्रांक 896 / 22A

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय-

जनपद चमोली में पजियाणा-घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/9612/2015)

सन्दर्भ:-

उप महानिरीक्षक, वन (के०) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी./06/38/2016/एफ.सी./1017 दिनांक 16.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उल्लेखित मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की कृपा करें, ताकि मार्ग पर वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें। (भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है)।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


27/07/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गौरसैण

D.F.A

Phone No/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 1255 / 1 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 14/09/2021.

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पंजीयाणा - घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/३८/२०१६/एफ०सी०/२०८०, दिनांक १४/०३/२०१७.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित ८ शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है-

- 1 शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 10,07,248.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। तथा जिलाधिकारी, चमोली के आदेश सं० 4868/छब्बीस-24 (2016-17) गोपेश्वर, दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.988 हे० के सापेक्ष दोगुनी भूमि 3.976 हे० का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया, भुगतान चालान एवं जिलाधिकारी, चमोली का आदेश पत्र दस्तावेज संलग्न है।
- 2 शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 16,79,860.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा जमा कर दी गयी, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।
- 3 शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 4 शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।
- 5 शर्त संख्या 05 में सड़क निर्माण के पश्चात दोनों किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी, वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 6 शर्त संख्या 06 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण में 40% बांज (Oak) के पौधों का रोपण का प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिया जाना है।
- 7 शर्त संख्या 07 में इस खण्ड द्वारा संशोधित दस्तावेजों की मूल प्रति अभिलेख हेतु प्रेषित है।
- 8 शर्त संख्या 08 में संशोधित FRA Certificate को Online Part-1 में यथास्थान Upload कर दिया गया है।

पूर्व में इस खण्ड द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गयी, जिसके अनुपालन में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

h.f.a. 14/9/21
(इ० सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गौरसैण

all

पत्रांक 1255/1 LA तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

all

h.f.a. 14/9/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गौरसैण

(4)

- आदेश -

144/11LA

31-7-017

जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा-घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.988 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.976 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/38/2016/एफ०सी०/2080 दिनांक 14.03.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पज्याणा-घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.988 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम घण्डियाल खालसा प०वृ० पज्याणा तहसील गैरसैण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-30 के खसरा सं०-05 रकबा 2.016 है० भूमि मध्ये 1.300 है० भूमि, खसरा सं०-06 रकबा 2.250 है० भूमि मध्ये 1.300 है० भूमि एवं खसरा सं०-07 रकबा 2.024 है० भूमि मध्ये 1.376 है० भूमि अर्थात् कुल 3.976 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XV I(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

आवश्यक
वन भूमि सहायक
1/31/17

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक
1/31/17

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1068/छबीस-24 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 26 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैण।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केंदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. आदेशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गैरसैण

आशीष जोशी
जिलाधिकारी
चमोली

125/17
जिलाधिकारी
चमोली।

SIBIN 217231034338

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 18-05-2017	
Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	ROAD96122015261
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	2687108/- ✓
Amount in Words . Twenty-Six Lakh Eighty-Seven Thousand One Hundred and Eight Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD96122015261
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

उत्तरांचली सचयवित

सचयवित अडिगल
निगम अडिगल लोडिंग विडि
पुडुम (पुडुमली)

05477
19 AUG 2017
Akhilesh Kumar Sang
मेकर

उत्तरांचली सचयवित

सचयवित अडिगल
निगम अडिगल लोडिंग विडि
पुडुम (पुडुमली)

Government Of Uttarakhand
Office Of the district Collector : Chamoli

No.....

Dated 08-12-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that 2.092 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pajiyana - Ghandiyal Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.092 hact of civil area proposed for diversion .A copy of recoreds of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

उत्तराखण्ड सरकार

मुख्य सचिव
मुख्य सचिव
मुख्य सचिव

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

नाम: दामिनाल खालता गोपाल शालकाम्य
जिला चमौली उत्तराखण्ड
तहसील गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.250	30	उत्तराखण्ड	सुरक्षा																		
2.257	30	उत्तराखण्ड	सुरक्षा																		
2.016	30	उत्तराखण्ड	सुरक्षा																		

मध्यम,
 नामित शकल असब हें लही का
 लय हेमाद किया

तहसीलदार
गढ़वाल

उपजिल्हाधिकारी
चमौली

21.11.12
 एस० डी० सिमल्टी
 राज्य एमप्रीमन्ट
 क्षेत्र गढ़वाल
 तहसील गढ़वाल
 जिला चमौली (गढ़वाल)

गढ़वाल
गढ़वाल
गढ़वाल

गढ़वाल
गढ़वाल
गढ़वाल

N.Z.A. खतोनी भाग. पञ्जाब स्वायत्त रा. उ. नि. के पञ्जाब एड. गैरसैंण (चमोली)

क्र.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.
१	११२॥	२.०१६								
२	११०१॥	२.०२४								
३	१२४१-									
४	२६॥									
५	३६॥									
६	१४१॥									
७	१६६									
८	१४१	०.२८६								
९	६२॥									
१०	२२६॥									
११	१६६									
१२	२६	१.१२३								
१३	१२१									
१४	१०४									
१५	१०२									
१६	११३॥									
१७	१४॥									
१८	१००॥	२.०२२								
१९	१२०॥									
२०	११३॥									
२१	१००॥	१.०२२								

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय में गैरसैंण सं. १०४ की प्रतीति

दलीस-२४ (२०१६-२०) में गैरसैंण दि. १०/७/२०१६ को

तत्कालीन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के कार्यालय में

वन संरक्षण पर्यावरण, वन संसाधन विभाग, परिवहन अंतर्गत अंतर्गत

क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं. ०६८/१/१०००/२०१६

२०१६ ए.सी.टी.पी. २०१६ दि. १०/७/२०१६ की संज्ञा में

उपजिलाधिकारी गैरसैंण की संस्थापन कार्य के माध्यम से

जनपद चमोली के अंतर्गत पञ्जाब चिड़ियाघर गैरसैंण में

से प्रस्तावित होने वाली वन संरक्षण व गैरसैंण के संस्थापन

हस्तारोपण के लक्ष्य में प्रथम चिड़ियाघर खालस परिसर

गैरसैंण की सीमांतर्गत चिड़ियाघर खालस परिसर

सं. ०५२ सं. २/०१६ हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य

क्र.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.
१	१२१	२.५११	०.५१९							
२	१४४									
३	१४४									
४	१६६									
५	२०६									
६	२१६	०.२४१								
७	२१६	०.१४०								
८	२२६	०.६०१								
९	२२६									
१०	२२६									
११	२२६									
१२	२२६	१.६६०								

सं. ०६२ सं. २/२०१६ हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य

सं. ०११ सं. २/०२४ हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य

कुल ३.९७६ हे.सि.वि.न. संयोजित अति महत्वपूर्ण कार्य

हरियाणा के ज्ञान वी. सी.टी.पी. शासन देरा सं. २/१३/१०००/२०१६

२०१६-१७ (२०१६-२०१७) दि. १०/७/२०१६ के अंतर्गत

की जाती हैं, अगल दस्तावेज

हाथों प्रति प्रमाणित

M. K. D. D. D.

हितेश डिमरी

राजस्व उप निरीक्षक

पञ्जाब महसूल

जिला- चमोली

हाथों प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer

Construction Division

P.W.D. Gaisan

जवशा ट्रेस

अ (५)

ग्राम:- घाडियाल खालसा पर शेर पञ्जाण
तहसील-शेरखेण जिला नकोली

पैमाना 32" = 1 मील

वास्तु:- वैज्ञानिक वृक्षारोपण हेतु

शेखरी

खखरा त्त

रकम (होटा)

5
6
7


2.010

2.257

2.016

} महेन

2.016 हेक्टर



सर्वकार
शेखरी
उपनिरीक्षक
पञ्जाण (पञ्जाण)

शेरखेण

21.11.12
एस.डी. सिमल्टी
राजस्थान उप निरीक्षक
उपनिरीक्षक
घाडियाल खालसा (शेरखेण)
पञ्जाण (पञ्जाण)
उपनिरीक्षक
शेरखेण जिला नकोली

जवशा सत्यापित
सर्वकार अभियंता
नकोली जिला नकोली
(पञ्जाण)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जमिंदार चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (गैरखेना - पञ्जियाना -
राण्डियाना 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

कुंवर सिंह

नाम-कुंवर सिंह ५० गोपाल सिंह

ग्राम- गेहर गांव

क्रास सेक्शन 41/32...41/34 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह ग्राम गेहर (गांधीटवारी वृत्त 41-21/34) जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है०
1	09 / 1439	0.034
2	9 / 1438	0.039
	9 / 1437	0.025

Assistant Engineer
Construction
P.W.D. Chamoali

Executive Engineer
Construction
P.W.D. Chamoali

ह०- राजस्व उप निरीक्षक
 चमोली
 41-21/34

अनापत्ति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
 निम्न खण्ड लो०नि०वि०
 41-21/34 (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (गैरसैज - पञ्चिथाना -
घाण्डिथाल मोटर मार्ग)

6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु

जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

गजेन्द्र सिंह

भवदीय

नाम- गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह

ग्राम- घाण्डिथाल

क्रास सेक्शन 0/35.....0/38 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह - ग्राम घाण्डिथाल पट्टवारी वृत्त 44-2101 जिला चमोली

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है०
1 -	1373/1492 40/1492	0.033 0.033

JE

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garstin

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garstin

ह०- राजस्व उप निरीक्षक
44-2101
चमोली

आपत्ति सत्यापित

निर्माण कार्य लोकार्पण
चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (जे.एस. 11 - पजिगा. 11)

एडिज्वाल

6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु

जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भा.व.सिंह

भवदीय

नाम- मान सिंह 5/0 जिमरासि

ग्राम- एडिज्वाल

क्रास सेक्शन 11/15 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री
पुत्र श्री ग्राम पट्टवारी वृत्त जिला

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	खता नम्बर	खसरा/खसरा नम्बर	भूमि हे०
1	1373	1312	0.044
		1313	0.025
		1314	0.013
			—
			—

योग 0.082 हे०.

BEY
JE.

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garain

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garain

H0- राजस्व उप निरीक्षक

आयुक्त सहायक

निर्माण एवं संचालन
चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (नैल केवट से झूमरवेत) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

विकास सिंह
भवदीय

नाम- विकास सिंह

ग्राम- परमधार

क्रास सेक्शन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री पुत्र श्री अदन सिंह ग्राम परमधार मक डिस्पोजल हेतु वृत्त पञ्थाणा जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि हे०
1	7/522	0.135

4
E

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garhwal

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garhwal

H0- राजस्व उप निरीक्षक

उत्पादित सत्यमित

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं सड़क विभाग
चमोली (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसैंण पजियाणा-घण्डियाल 6.00 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम-प्रिलोक सिंह

ग्राम-

क्रास सेक्शन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री प्रिलोक सिंह पुत्र श्री मदन सिंह ग्राम परमेश्वर पट्टवारी बृत्त पञ्चाणा जिला चमोली

के नाम भूमि दिवरण निम्न प्रकार है।-

क्र०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि है०
1	07/518	0.100 हे०
2	07/519	0.095 हे०

Bry
JE

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garhwal

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garhwal

ह०- राजस्व उप निरीक्षक
पञ्चाणा

प्रमाणित
निम्न रूप से
क. प्रमाण (पञ्चाणा)

प्रारूप - 51

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में गैरसेण -पजियाणा ^{हाईवे} मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.988 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई वदोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधीन
लो.नि.वि.
कर्मि.

अधीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

सहायक अधीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधीन
प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधीन

अधीन
प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”


प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के देख – रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण

दिनांक 17/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति


ग्राम पंचायत रामदा माला (महराव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मंगलसिंह S/O गदगसिंह	मंगल सिंह
2-	विजयसिंह S/O बागसिंह	विजयसिंह
3-	कमला देवी W/O राजगीतसिंह	कमला देवी
4-	विजयसिंह S/O चौहानसिंह	विजय सिंह
5-	सावित्री देवी W/O हरीसिंह	सावित्री देवी
6-	कुमा देवी W/O बलवंतसिंह	कुमा देवी
7-	हीरा देवी W/O बादरीराम	हीरा देवी
8-	दीपा देवी W/O विरेन्द्रसिंह	दीपा देवी
9-	दीवानसिंह S/O श्यामसिंह	दीवान सिंह
10-	केदारसिंह S/O आलमसिंह	केदार सिंह
11-	खुसालसिंह S/O अमरसिंह	खुसालसिंह
12-	बरबतवरसिंह S/O राजसिंह	बरबतवरसिंह
13-	विजयसिंह S/O कलमसिंह	विजयसिंह
14-	शकरसिंह S/O अमरसिंह	शकरसिंह
15-	नारायणसिंह S/O केदारसिंह	नारायण सिंह
16-	देवासिंह S/O जमनसिंह	देवासिंह
17-	स्वामिनन्द S/O हरीदत्त	स्वामिनन्द

ह0/-

पञ्चायती सचिव

दिनांक 17/01/15 को
बैठक (महाराव)




प्रपत्र-23.1-

क्रमांक 18/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- बालिपाल

क्र.सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम प्रसाद छिनकुलाडा / शांलु राठ	राम प्रसाद
2	विशाम्वर दल / राठ दल	विशाम्वर दल
3	राम रत्न / हरक माठा	राम रत्न
4	बलू माहन / नारायण दल	बलू माहन
5	राजसिंह पुत्र / किशोरसिंह	राजसिंह
6	कुंवरसिंह " / कचनसिंह	कुंवरसिंह
7	मानसिंह " / धीतसिंह	मानसिंह
8	पानसिंह " / किशोरसिंह	पानसिंह
9	कचनसिंह " / जमनासिंह	कचनसिंह
10	राजसिंह " / जमनासिंह	राजसिंह
11	कचनसिंह " / जमनासिंह	कचनसिंह
12	सीताराम " / भुवनराम	सीताराम
13	जीतसिंह " / देवीसिंह	जीतसिंह
14	शकरदल " / हरक माठा	शकरदल
15	चतुरसिंह " / जमनासिंह	चतुरसिंह
16	दिवानीसिंह " / पदमसिंह	दिवानीसिंह
17	कचनसिंह " / मुंवरसिंह	कचनसिंह
18	मंडार कुंवरसिंह " / मंडार	मंडार
19	रामसिंह " / अमरसिंह	रामसिंह
20	वल्लभसिंह " / भवारासिंह	वल्लभसिंह
21	वल्लभावरदल " / प्रतापसिंह	वल्लभावरदल
22	राजसिंह " / पदमसिंह	राजसिंह
23	विजयसिंह " / मदनसिंह	विजयसिंह
24	राम देवी पुत्र / शकरदल	राम देवी
25	घनश्याम सती पुत्र / कृपानन्द सती	घनश्याम सती
26	आगा देवी पुत्री / सुभासिंह	आगा देवी
27	दिवानी देवी " / रामसिंह	दिवानी देवी
28	विजय देवी " / कुंवरसिंह	विजय देवी
29	कमला देवी " / पानसिंह	कमला देवी
30	शीला देवी " / कुंवरसिंह	शीला देवी
31	हीरा देवी " / शिवश्याम	हीरा देवी
32	अमरी देवी " / जवाहरसिंह	अमरी देवी
33	अपराधि देवी " / (गोविंद)	अपराधि देवी
34	कुसुम सती पुत्र / बलराम सती	कुसुम सती
35	राधा देवी " / सदानन्द	राधा देवी
36	पिताम्बर दल पुत्र / गोपालदल	पिताम्बर दल

सदस्य क्षेत्र पंचायत
 ब्लॉक सं० 16 घण्टियाल मण्डल
 वि०ख० गैरसैण (बमोली)



उपस्थिति सत्यापित
 हस्ताक्षर जमियन
 निर्माण इन्फो लोकनिर्वाह
 वि०ख० गैरसैण (बमोली)

Ronandya
 पंचायत सदस्य
 गालली बार्ड
 गण (बमोली)

AE

Handwritten signature and initials 'E.E.'

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- ~~.....~~ पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील गैरसैण, जनपद-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गैरसैण- पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-... है 0 सिविल वन भूमि-... है 0 कुल ... है 0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत... द्वारा दिनांक... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... को उक्त वन भूमि ... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

10

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

अनापत्ति सत्यापित

हस्ताक्षर अभियन्ता
निर्माण ग्रुप लोन्नि...
गैरसैण (चमोली)

प्रपत्र-23.1

क्र. 18.1.1 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- रामदास मठ

क्र.सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री लखतावरसिंह सिंगेदार	लखतावरसिंह
2	श्री कल्याणसिंह महरगौव	कल्याण
3	श्री मंगलसिंह गामडा मठ (वाडिसदस्य)	मंगलसिंह
4	श्री विजयसिंह	विजयसिंह
5	श्री विजयसिंह सिंगेदार	विजयसिंह
6	श्री अशुभालसिंह महरगौव	अशुभालसिंह
7	श्री अमरावासिंह	अमरावासिंह
8	श्रीमती दीपादेवी वाडिसदस्य	दीपादेवी
9	श्रीमती सावित्रीदेवी वाडिसदस्य	सावित्रीदेवी
10	श्री स्वामिनन्द जाबु (सं. सं. सं.) रामदास मठ	स्वामिनन्द
11	श्रीमती रामादेवी पूर्व प्रधान रामदास मठ	रामादेवी
12	श्री देवासिंह सं. मंगलसिंह महरगौव	देवासिंह
13	श्री कुंवरसिंह सं. श्रीपालसिंह ग्राम पुरही	कुंवरसिंह
14	श्री नन्दनसिंह सं. केदारसिंह महरगौव	नन्दनसिंह
15	श्री नारायणसिंह सं. इंदरसिंह	नारायणसिंह
16	श्री विजयसिंह सं. बालसिंह	विजयसिंह
17	श्री कलवन्तसिंह सं. श्री बालसिंह	कलवन्तसिंह
18	श्री कलवन्तसिंह सं. श्री बालसिंह	कलवन्तसिंह
19	श्री विजयसिंह शिविल वन पंचायत सरपंच	विजयसिंह
20	श्री हनुमंतसिंह सं. श्री कौशलसिंह	हनुमंतसिंह
21	श्री अमरावासिंह सं. श्री गालसिंह	अमरावासिंह
22	श्री शिवासिंह सं. श्री नन्दसिंह	शिवासिंह
23	श्री नन्दसिंह सं. श्री नन्दसिंह	नन्दसिंह
24	श्रीमती इंदरदेवी वाडिसदस्य कारकडाली	इंदरदेवी
25	श्रीमती मनुला देवी सं. सं. सं. सं. सं. सं.	मनुला देवी
26	श्री दीपासिंह वाडिसदस्य सिलगोव	दीपासिंह
27	श्रीमती कमलादेवी सं. सं. सं. सं.	कमलादेवी
28	श्रीमती अमीदेवी	अमीदेवी
29	श्रीमती कल्याणी देवी	कल्याणी देवी
30	श्रीमती कल्याणी देवी वाडिसदस्य	कल्याणी देवी
31	श्री जीवसिंह	जीवसिंह
32	श्री मनवरसिंह	मनवरसिंह
33	श्री चंद्रसिंह	चंद्रसिंह
34	श्री चैतराज शर्मा	चैतराज

अध्यक्षिता मन्वयिता
 सहायक आयुक्ता
 निमित्त प्राप्त लोकसभिक
 प्रमाण (प्रमाण)



प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 6.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत घण्डियाल, रामड़ा को जोड़ने

(1.98 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.675 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.313 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.968 हे० वन भूमि) का गैरसैण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 13.11.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गैरसैण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- श्री विश्व सिंह नेगी उपजिलाधिकारी गैरसैण अध्यक्ष
- श्री सुरेश लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी गैरसैण सदस्य
- श्री सुरेश लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैण सदस्य / सचिव
- श्री गैरसैण सदस्य गैरसैण सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत गैरसैण (खिलाधिकारी की उपस्थिति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 1.98 हे० वन भूमि

मान्यता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गैरसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट रूप से जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत पजियाणा-घण्डियाल परियोजना के निर्माण हेतु 1.98 हे० वन भूमि गैरसैण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद चमोली

साक्षि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद चमोली

चमोली जिलाधिकारी

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Bageshwar (U.K.)

...eeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other
...ditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA.
... was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **VINOD KUMAR (Soni)** District Magistrate.,
... on dated **08-12-2016** at time **12.00 PM** at **CHAMOLI** in which application claiming
... **Gairsain** area measuring **1.98** hect for the construction of **Construction Of Pajiyana**
... **ndiyal Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and
... mended by the sub division level committee of **Gairsain** sub division were discussed to
... sider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were
... d to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion
... nd for the said purpose.

...; **At. Chamoli**

...d: **08/12/2016**

उपस्थिति सत्यमित

सचिव
जिला कमिश्नर
(उ.क.)
चमोली

mm

08.12.16

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee